**जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक–09.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–**

उक्त आयोजित बैठक मे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहेः–

1. श्री आशीष कुमार भारती, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
2. श्री अनिल कुमार यादव एवं श्री विनोद कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
3. समस्त सहायक अभियंता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
4. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0, चित्रकूट।
5. श्री विपिन पाण्डेय,कंस्ट्रक्शन मैनेजर एल0एण्ड0टी0, चित्रकूट।
6. श्री एस0 मौर्या, डी0पी0एम0, कार्यदायी संस्था जी0वी0पी0आर0, चित्रकूट।
7. श्री कुलजीत, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
8. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कर्वी, चित्रकूट।

---

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित नोडल विभाग (जल जीवन मिशन) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री आशीष कुमार भारती एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्री सुमित कुमार, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेन्सी सेंसिस टेक लि0 (TPI) के डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिस टेक लि0चित्रकूट तथा कार्यदायी संस्था–(L&T)के कंस्ट्रक्शन मैनेजर, श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था–(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या से जनपद चित्रकूट में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माणाधीन सिलौटा मुस्तकिल व चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना, रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना तथा रेट्रोफिटिंग व पुनर्गठन पेयजल योजनाओं (पैकेज संख्या–01 ,02 एवं 03) व मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना, बरगढ, परदवां, कोल्हुवामाफी पेयजल योजना के विभिन्न कम्पोंनेंट्स पर किये गये कार्यो की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। उक्त बैठक मे निर्माणाधीन परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति से अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया–

Scanned with OKEN Scanner

# सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्यदायी संस्था | लार्सन एण्ड टूब्रो | | |
| कार्य लागत ( संचालन और रख–रखाव सहित) | Rs. 213.59 Cr. | | |
| प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक | 21-09-2020 / 30-09-2024 | | |
| अनुबन्ध संख्या/दिनांक | 20/ED/2020-21 DT-20/09/2020 | | |
| संचालन और रख–रखाव समय | 10 Yr. | | |
| पानी का स्त्रोत | यमुना नदी | | |
| आच्छादित ब्लाक | मानिकपुर और रामनगर | | |
| ग्राम पंचायत | 33 | | |
| ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम | 59 | | |
| आच्छादित जनसंख्या (2021) | 125340 | | |
| आच्छादित जनसंख्या (2051) | 209750 | | |
| कम्पोनेंट | कुल कम्पोनेंट्स | कार्य की प्रगति | प्रगति प्रतिशत |
| इन्टेकवेल | 1(24 MLD) | 1(क्रियाशील) | 100.00% |
| वाटर ट्रीटमेंट प्लांट | 1(22 MLD) | 1(क्रियाशील) | 100.00% |
| ओवरहेड टैंक | 17 | 17(क्रियाशील) | 100.00% |
| ओवरहेड टैंक(functional) | 17 | 17 | 100.00% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर | 6 | 6(क्रियाशील) | 100.00% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional) | 6 | 6 | 100.00% |
| कुल पाइप लाइन | 576.55 कि0मी0 | 572.55 कि0मी0 | 99.30% |
| तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क | 60.00 कि0मी0 | 57.91 कि0मी0 | 96.51% |
| रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की संख्या | 59 | 57 | 96.61% |
| गृह नल संयोजन संख्या | 11925 | 11410 | 96.00% |
| नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या | 59 | 59 | 100.00% |
| हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या | 59 | 57 | 96.61% |
| भौतिक प्रगति | - | - | 98.77% |
| वित्तीय प्रगति | 213.59 | 203.47 | 95.26% |

Scanned with OKEN Scanner

# चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना

| | |
|---|---|
| कार्यदायी संस्था | लार्सन एण्ड टूब्रो |
| कार्य लागत ( संचालन और रख–रखाव सहित) | Rs. 959.75 Cr. |
| प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक | 21-09-2020 / 30-09-2024 |
| अनुबन्ध संख्या/दिनांक | 20/ED/2020-21 DT-20/09/2020 |
| संचालन और रख–रखाव समय | 10 Yr. |
| पानी का स्त्रोत | यमुना नदी |
| आच्छादित ब्लाक | कर्वी, पहाड़ी, मानिकपुर |
| ग्राम पंचायत | 214 |
| ग्राम पंचायत/अच्छादितग्राम | 286 |
| आच्छादित जनसंख्या (2021) | 490880 |
| आच्छादित जनसंख्या (2051) | 788480 |

| कम्पोनेंट | कुलकम्पोनेंट्स | कार्य की प्रगति | प्रगतिप्रतिशत |
|---|---|---|---|
| इन्टेकवेल | 1(103 MLD) | 1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर) | 95.00% |
| वाटर ट्रीटमेंट प्लांट | 1(98 MLD) | 1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर) | 95.00% |
| ओवरहेड टैंक | 91 | 90 | 98.90% |
| ओवरहेड टैंक(functional) | 91 | 80 (क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर) | 87.91% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर | 20 | 20 | 100.00% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional) | 20 | 20 | 100.00% |
| कुल पाइप लाइन | 3038.38 कि0मी0 | 2592.60 कि0मी0 | 85.32% |
| तोड़ी गई सड़क/पुर्नस्थापन की गई सड़क | 304.52 कि0मी0 | 222.35 कि0मी0 | 73.01% |
| रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामो की संख्या | 286 | 187 | 65.38% |
| गृह नल संयोजन संख्या | 85767 | 74630 | 87.01% |
| नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या | 286 | 177 | 61.88% |
| हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या | 286 | 82 | 28.67% |
| भौतिक प्रगति | - | - | 83.82% |
| वित्तीय प्रगति | 959.75 | 659.30 | 68.70% |

Scanned with OKEN Scanner

# रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्यदायी संस्था | जी०वी०पी०आर० इंजीनियर्स | | |
| कार्य लागत ( संचालन और रख–रखाव सहित) | Rs. 303.32 Cr. | | |
| प्रारम्भ दिनांक/समाप्ति दिनांक | 26-09-2020/ 30-09-2024 | | |
| अनुबन्ध संख्या/दिनांक | 15/ED/2020-21 DT 26-09-2020 | | |
| संचालन और रख–रखाव समय | 10 Yr. | | |
| पानी का स्रोत | गुन्ता बांध | | |
| आच्छादित ब्लाक | मानिकपुर | | |
| ग्राम पंचायत | 51 | | |
| ग्राम पंचायत/आच्छादितग्राम | 71 | | |
| आच्छादित जनसंख्या (2021) | 169130 | | |
| आच्छादित जनसंख्या (2051) | 263150 | | |
| कम्पोनेंट | कुल कम्पोनेंट्स | कार्य की प्रगति | प्रगति प्रतिशत |
| इन्टेकवेल | 1 (32 MLD) | 1(क्रियाशील) | 100.00% |
| वाटर ट्रीटमेंट प्लांट | 1 (29 MLD) | 1(क्रियाशील फिनिशिंग कार्य प्रगति पर) | 97.00% |
| ओवरहेडटैंक | 28 | 25पूर्ण<br>03(कार्य प्रगति पर) | 89.00% |
| ओवरहेड टैंक(functional) | 28 | 25 | 89.00% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर | 11 | 11 | 100.00% |
| क्लीयर वाटर रिजर्वायर(functional) | 11 | 11 | 100.00% |
| कुल पाइप लाइन | 882.38कि०मी० | 837.40 कि०मी० | 94.90% |
| तोड़ी गई सड़क/पुनर्स्थापन की गई सड़क | 92.77 कि०मी० | 75.32 कि०मी० | 81.19% |
| रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामो की संख्या | 68 | 57 | 83.82% |
| गृह नल संयोजन संख्या | 19570 | 17670 | 90.29% |
| नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों की संख्या | 68 | 62 | 91.17% |
| हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों की संख्या | 68 | 49 | 72.05% |
| भौतिक प्रगति | - | - | 91.03% |
| वित्तीय प्रगति | 303.32 | 203.18 | 66.99% |

Scanned with OKEN Scanner

| Manpower Deployed for Jal Jeevan Mission district Chitrakoot on dated | | | | | | | 09-04-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S No. | Descriptions | Silauta Mustakil | | Chandi Banger | | | Raipura WSS | |
| | | Required Team/ Manpower | Deployed Team/ Manpower | Required Team/ Manpower | Deployed Team/ Manpower | | Required Team/ Manpower | Deployed Team/ Manpower |
| 1 | INTAKE | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 0 |
| 2 | WTP | 1 | 2 | 5 | 10 | | 10 | 6 |
| 3 | CWR & PH | 5 | 5 | 30 | 21 | | 36 | 6 |
| 4 | OHT | 10 | 6 | 50 | 51 | | 91 | 15 |
| 5 | PIPELINE | 5 | 0 | 98 | 46 | | 43 | 40 |
| 6 | Gap Closing & Leakages | 15 | 5 | 43 | 55 | | 34 | 30 |
| 7 | COMMISSIONING | 10 | 0 | 123 | 49 | | 49 | 39 |
| 8 | Road Restoration | 5 | 0 | 80 | 16 | | 52 | 20 |
| 9 | FHTC | 10 | 4 | 48 | 17 | | 21 | 15 |
| | Total | 61 | 22 | 482 | 265 | | 341 | 171 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि फर्म के द्वारा सभी कम्पोनेन्टों पर आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी नही लगायी गयी है जिसके कारण उपरोक्त परियोजनाओं की कमीशनिंग, नियमित जलापूर्ति "हर घर जल" प्रमाणीकरण इत्यादि कार्यो की भौतिक प्रगति अत्यन्त धीमी एवं खराब है। जो कि अत्यन्त ही आपत्तिजनकहै। समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था-(L&T) के कंस्ट्रक्शन मैनेजर श्री विपिन पाण्डेय, कार्यदायी संस्था-(GVPR) इंजीनियर्स लि0 के डी0पी0एम0 श्री एस0 मौर्या को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने परियोजनाओं से सम्बन्धित इण्टेकवेल, WTP, CWRs, OHTs पाइपलाइन एवं गैप क्लोजिंग/होने वाले लीकेज, हाउस कनेक्शन, ग्रामों की कमीशनिंग, रोस्टवार नियमित जलापूर्ति, हर घर जल प्रमाणीकरण इत्यादि उपरोक्त अवशेष कार्यो के दृष्टिगत दोनों कार्यदायी संस्था (L&T/ GVPR) को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता के साथ (24x7) दिन-रात्रि कार्य कराने की आवश्यकताहै।

फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को **दिनांक-30.06.2026 तक** पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0वी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यो को **दिनांक-30.04.2026 तक** पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत यान्त्रिकी) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को समस्त कार्यों की गहनता से जांच व सघन पर्यवेक्षण करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। निर्देशित किया गया कि वह टी0पी0आई0 सहित अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स व कार्मिकों को उपरोक्त परियोजनाओं के निर्माणाधीन घटक के कार्यस्थलों पर भेजकर सिविल/इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल के कार्यो पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों की क्वालिटी/गुणवत्ता की जांच कराते हुये मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें व स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण कर कार्यो को अपनी निगरानी में गुणवत्तापूर्ण ससमय करायें।

Scanned with OKEN Scanner

## रेट्रोफिटिंग व पुर्नगठन परियोजनायें

| क्र0 सं0 | योजना का नाम | योजनाओं की संख्या | ग्रामों की संख्या | सी0डब्लू0 आर0 | ओ0एच0 टी0 (नग) | पाइप लाइन (प्रगति/लक्ष्य) (कि0मी0 में) | गृह जल संयोजन (नग) (प्रगति/लक्ष्य) | हर घर जल प्रमाणित/नियमित जलापूर्ति हो रहे ग्रामों की संख्या | रोड रेस्टोरेशन पूर्ण ग्रामों की संख्या | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (नग) (प्रगति/लक्ष्य) | (प्रगति/लक्ष्य) | | | | | |
| 1 | रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–01) | 12 | 16 | 11/11 | 05/05 | 120.06/120.06 | 9109/9358 | 10/14 | 10 | 97.40 प्रतिशत |
| 2 | रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–02) | 14 | 14 | 13/13 | 07/07 | 99.28/103.86 | 4161/6122 | 8/10 | 8 | 90.40 प्रतिशत |
| 3 | रेट्रोफिटिंग एवं पुर्नगठन पेयजल योजना (पैकेज संख्या–03) | 10 | 10 | 10/10 | 05/05 | 75.06/83.19 | 4557/9355 | 6/6 | 6 | 78.00 प्रतिशत |
| 4 | रेट्रोफिटिंग मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना | 04 | 11 | 8/8 | 02/02 | 78.60/93.55 | 2730/4215 | 10/10 | 10 | 70.50 प्रतिशत |
| 5 | रेट्रोफिटिंग बरगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना | 03 | 9 | 9/9 | 0/0 | 68.50/73.64 | 2744/2941 | 8/8 | 8 | 75.13 प्रतिशत |
| 6 | कोल्हुवामाफी एवं परदवां पेयजल योजना | 02 | 4 | 0/0 | 04/04 | 11.40/12.75 | 492/850 | 1/2 | 1 | 84.13 प्रतिशत |
| | **योग** | **45** | **64** | **51/51** | **23/23** | **453.00/486.85** | **23793/32841** | **43/50** | **43** | |

**विद्युत कनेक्शन की अद्यतन स्थिति एवं विद्युत आपूर्ति से प्रभावित सी0डब्लू0आर0 का विवरण**

| क0 सं0 | योजना का नाम | कुल विद्युत संयोजनों की संख्या | प्राप्त विद्युत संयोजनों की संख्या | अवशेष | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना | 07 | 07 | 00 | — |
| 2 | चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना | 21 | 21 | 00 | योजनान्तर्गत गढ़ौली, मानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। |
| 3 | रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना | 13 | 13 | 00 | योजनान्तर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नगक्रमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भैंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। |
| 4 | रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–01 | 12 | 10 | 02 | |
| 5 | रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–02 | 14 | 10 | 04 | |
| 6 | रेट्रोफिटिंग पैकेज संख्या–03 | 10 | 09 | 01 | |

**नोट**— 1–विद्युत विभाग द्वारा योजनान्तर्गत स्वतंत्र फीडर निर्माण का प्राक्कलन वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2–पूर्व में विद्युत विभाग को रेट्रोफिटिंग के कनेक्शन मद में 83.07 लाख एवं जे0जे0एम0 फेज–1 के मद में 111.44 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका यू0सी0 उपलब्ध कराया जाना है।

**आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त लम्बित शिकायतों का फर्म वार विवरण**

| क्र0सं0 | फर्म का नाम | लम्बित संदर्भों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | L&T | 360 |
| 2 | GVPR | 104 |
| 3 | JWIL | 37 |
| 4 | Eagle | 73 |
| 5 | Package -1 | 20 |
| 6 | Package -2 | 3 |
| 7 | Package-3 | 7 |
| 8 | Bargarh Retro | 6 |
| 9 | Mau Retro | 7 |
| 10 | A.R. | 3 |
| | **Total** | **620** |

Scanned with OKEN Scanner

**आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त लम्बित शिकायतों का जूनियर इंजीनियरवार विवरण**

| क्र0सं0 | जूनियर इंजीनियर का नाम | लम्बित संदर्भों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | श्री हरिकेश | 226 |
| 2 | श्री विजय शंकर यादव | 159 |
| 3 | श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद चौबे | 10 |
| 4 | श्री शिवम त्रिपाठी | 49 |
| 5 | श्री अभिजीत यादव | 88 |
| 6 | श्री जयनारायण तिवारी | 88 |
| | **कुल** | **620** |

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा संज्ञानित कराया गया कि जल निगम की रेट्रोफिटिंग परियोजना अन्तर्गत पैकेज–01, 02, व 3, मऊ परियोजना, बरगढ़ परियोजना, परदवां परियोजना, कोल्हुवामाफी परियोजना, के CWRs, OHTs पाइप लाइन तथा हाउस कनेक्शन के कार्यों की प्रगति काफी धीमी एवं खराब है। लक्ष्य के अनुरूप मैनपावर एवं मशीनरी नही लगायी जा रही है। उपरोक्त अवशेष कार्यों के दृष्टिगत कार्यदायी संस्थाओं को अतिरिक्त मैनपावर एवं मशीनरी की तैनाती करते हुए गम्भीरता से (24x7) दिन–रात्रि कार्य कराने की आवश्यकता है। ताकि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ समीक्षा बैठक में उपस्थित थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सेरिंस टेक लि0 के डिप्टी टीम लीडर एवं नोडलविभाग जल निगम के अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के सभी ग्रामों के कार्यस्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए उपरोक्त घटकों पर प्रयोग होने वाले समस्त मैटेरियल/सामाग्रियों का मानक के अनुरूप <u>क्वालिटी/गुणवत्ता</u> का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यों मे भौतिक प्रगति बढ़ाये जाने के पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा नोडल विभाग जल जीवन मिशन, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियन्ता उपरोक्त सभी कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक–18.12.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के अन्तर्गत जिन एजेन्सियों के द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 100 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है एवं अनुरक्षण एवं संचालन/ट्रायल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, उन योजनाओं एवं एजेन्सियों के भुगतान को वरीयता दी जायेगी। जिसके क्रम में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना का ट्रायल एण्ड रन सफलतापूर्वक पूर्ण कराकर योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

**<u>परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–</u>**

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के सहायक अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म के द्वारा लीकेज मरम्मत में मात्र 02 टीम है जबकि योजनान्तर्गत 60–70 लीकेज हैं। साथ ही योजना के साइट इंचार्ज श्री वैभव पाण्डेय के द्वारा टीम बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं ली जा रही है। फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजना के साइट इंचार्ज श्री वैभव पाण्डेय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये योजनान्तर्गत समस्त लीकेज मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय को प्रतिदिन भरने की टाइमिंग का विवरण वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देश दिये गये कि आई0जी0आर0एस0 संदर्भों के निस्तारण के लिये नोडल नामित करते हुये नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित विवरण अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गढ़ौली, भानपुर, चनहट एवं कुसेली सी0डब्लू0आर0 पर एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत मानिकपुर रूरल फीडर से कनेक्ट 05 नग क्रमशः पटा, सरहट, चूल्ही, भेंडा एवं टिकरिया सी0डब्लू0आर0 पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं रोस्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेशंस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध करायाजाये एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्वी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायें।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म एल0एण्ड0टी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्ययोजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक–30.06.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी, इसी प्रकार फर्म जी0पी0पी0आर0 के डी0पी0एम0 के द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्य योजना के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को दिनांक–30.04.2026 तक पूर्ण कराते हुये ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी परन्तु योजनान्तर्गत

Scanned with OKEN Scanner

अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर नहीं लगायी गयी है, जिससे अवशेष कार्य समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो पायेगा।

6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0, पीडियाना, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाल्टर श्रेणी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक मे उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजनर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्दर्भों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/ठेकेदारो एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक संदर्भो ऑफलाइन/ऑनलाइनआई.जी.आर.एस. सन्दर्भो का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने के निर्देश दिये गये।

7. समस्त निर्माणाधीन एवं रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के लिए फर्म द्वारा माइक्रोप्लान प्रस्तुत किया जाए और उसी के आधार पर योजना के समस्त कार्यों (ओ0एच0टी0, सी0डब्लू0आर0, इंटेकवेल, डब्लू0टी0पी0, पाइप लाइन, गृह जल संयोजन, रोड रेस्टोरेशन नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण) को पूर्ण कराया जाए।

8. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या– 7/2026/493 (1) छिहत्तर–1–2026 (2027542) दिनांक 28.02.2026 के अनुपालन मे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो मे कियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन एवं अनुरक्षण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) के द्वारा ग्राम पंचायत द्वार ग्राम स्तरीय जलापूर्ति सेवाओ का किये गये जल आंकलन की समीक्षा करते हुए प्रस्तुत विवरण के आधार पर निर्देशित किया गया कि दिसम्बर 2024 तक हर घर जल रिपोर्टेड ग्रामों में से जिन ग्रामों मे नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है उसमें आवश्यक कार्यो को पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति सेवाओं को मानक के अनुरूप संचालित किया जाये।

9. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरो को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सडक मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को प्राथमिकता पर मार्च, 2026 तक शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

10. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवन, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैण्ड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी0पी0आई0 के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुये आख्या अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत रेलवे, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए पाइप लाइन बिछाने में आ रहे अवरोधों का निराकरण कराते हुए कार्य पूर्ण कराया जाए।

12. योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा बनाई गई सड़क के किनारे पाइप लाइन बिछाते समय विशेष ध्यान दिया जाए कि सड़क के किनारे शोल्डर के बाहर पाइप लाइन बिछाई जाए एवं अपरिहार्य स्थिति में शोल्डर/कैरिज वे पर पाइप लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित विभाग को सूचित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य किया जाए। जिससे भविष्य में रोड वाइडनिंग के दौरान सडक मार्ग में आ रही पाइप लाइन के शिफ्टिंग के दौरान किसी विषम परिस्थिति से बचा जा सके।

13. जनपद में अनुरक्षण एवं संचालन पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित एजेन्सी मैसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लि0 महाराष्ट्र एवं मैसर्स जे0डब्लू0आई0एल0, नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अपने से सम्बन्धित ग्रामो में नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं नियमानुसार जल कर वसूली में प्रगति लायी जाये।

14. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को "हर घर नल हर घर जल" के तहत सुरक्षित तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्लोरीनेशन उचित मात्रा में किया जाये तथा नियमित अन्तराल पर पेयजल सैम्पल लेकर जल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाये। उपरोक्त कार्य को गम्भीरतापूर्वक किया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता न बरती जाये। फर्म एल0एण्ड0टी0 एवं जी0वी0पी0आर0 को निर्देश दिये गये कि हर घर जल प्रमाणीकरण ग्रामों में नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&T)/ (GVPR)इंजीनियर्स लि0 के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापरक रोड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जी.पी.एस.फोटोग्राफ्स/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(स्वप्निल कुमार यादव)
अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट

संख्या 535/ m-B/40 /2026 दिनांक 02/05/2026

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ0प्र0जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यां0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकेनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
10. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (टी0पी0आई0), सेन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
11. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी0पी0एम0 कार्यदायी संस्था L&T/GVPRको अनुपालनार्थ।
13. समस्त ठेकेदार, रेट्रोफिटिंग पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगढ़, परदवां एवं कोलुवामाफी को अनुपालनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे)
चित्रकूट

Scanned with OKEN Scanner